Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 15-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2024 (MAGHA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2024

संख्या 46/13/2023.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग कनिष्ठ अभियंता और अपर उपमण्डल अभियंता (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2014 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग कनिष्ठ अभियंता और अपर उपमण्डल अभियंता (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ अभियंता और अपर उपमण्डल अभियंता (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2014 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,–

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(क) "नियुक्ति अधिकारी" से अभिप्राय है, प्रमुख अभियंता, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा;';

(ii) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(घक) ''विभागीय परीक्षा'' से अभिप्राय है, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) या कनिष्ठ अभियंता (यान्त्रिकी) या कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), जैसी भी स्थिति हो, के पद पर ग्रुप ग या ग्रुप घ के पात्र कर्मचारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति के प्रयोजन के लिए परीक्षा;';

(iv) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

'(छक) ''ग्रुप ग कर्मचारी'' से अभिप्राय है, निम्नलिखित सेवा नियमों द्वारा शासित कर्मचारी, अर्थात्:–

(i) पंजाब लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) मुख्यालय, लिपिकीय (राज्य सेवा श्रेणी–III) नियम, 1965;

(ii) हरियाणा सिंचाई विभाग, परिमण्डल लिपिकीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982;

(iii) हरियाणा सिंचाई विभाग सिगनलरज (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1985;

(iv) हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग राजस्व स्थापना (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2019;

(v) हरियाणा सिंचाई विभाग, परिमण्डल संवर्ग, कामगार स्थापना (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2011;

(vi) हरियाणा सिंचाई विभाग अनुरेखक और प्रारूपकार (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1982;

(छख) ''ग्रुप घ कर्मचारी'' से अभिप्राय है, हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) के प्रारम्भ से पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त तथा निम्नलिखित सेवा नियमों द्वारा शासित कर्मचारी, अर्थात्:–

(i) हरियाणा सिंचाई विभाग (मुख्यालय) (ग्रुप–घ) सेवा नियम, 1999;

(ii) हरियाणा सिंचाई विभाग क्षेत्रीय (ग्रुप–घ) सेवा नियम, 1999;

(iii) हरियाणा सिंचाई विभाग, परिमण्डल संवर्ग, कामगार स्थापना (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2011;'।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''6. नियुक्ति प्राधिकारी.– सेवा में पदों पर नियुक्ति प्रमुख अभियंता, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा द्वारा की जाएगी।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"9. भर्ती का ढंग:– (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,–

(i) कनिष्ठ अभियंता (सिविल) की दशा में,–

(क) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 10 प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ग) 5 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; या

(घ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ii) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) की दशा में,–

(क) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 10 प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ग) 5 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; या

(घ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(iii) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) की दशा में,–

(क) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 10 प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ग) 5 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; या

(घ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) (i) सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त सभी कनिष्ठ अभियंताओं (सिविल या यांत्रिक या विद्युत) से उन्हें स्वतन्त्र प्रभार दिए जाने से पूर्व सीधी भर्ती की दशा में तीन मास तथा पदोन्नति की दशा में एक मास की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

(ii) सभी कनिष्ठ अभियंता (सिविल या यांत्रिक या विद्युत) प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार कम से कम पांच दिन की अवधि के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(3) ग्रुप ग और ग्रुप घ के पात्र कर्मचारियों में से चयन के माध्यम से पदोन्नति, विभागीय परीक्षा की योग्यताक्रम सूची के आधार पर की जाएगी।

(4) ग्रुप ग या ग्रुप घ का कर्मचारी, जिसने कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जनवरी को 54 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

9क. विभागीय परीक्षा और उसकी प्रक्रिया.– (1) विभागीय परीक्षा, ग्रुप ग और/या ग्रुप घ कर्मचारियों के लिए निर्धारित कोटा में से रिक्त पदों की उपलब्धता के अध्यधीन, परिशिष्ट ङ या च या छ, जैसी भी स्थिति हो, में वर्णित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रमुख अभियंता द्वारा कैलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार संचालित की जाएगी।

(2) सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें असफल रहने पर उसे कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए विचारण हेतु पुनः उपस्थित होना पड़ेगा। परीक्षा का परिणाम योग्यताक्रम वार (अर्थात् प्राप्त अंकों के आधार पर) और ग्रुप ग और ग्रुप घ दोनों कर्मचारियों के लिए अलग–अलग घोषित किया जाएगा।

(3) यदि विभागीय परीक्षा अर्हक करने वाले किसी विशेष ग्रुप के सेवा के सदस्यों की संख्या उस ग्रुप की उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो शेष कर्मचारियों का चयन/नियुक्ति उसी कैलेंडर वर्ष, जिसमें परीक्षा आयोजित की गई है, में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उनके योग्यताक्रम के आधार पर की जाएगी।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"11. ज्येष्ठता.– सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा–काल के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम को भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यो की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निर्धारित की जायेगी,–

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निर्धारित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पूर्व नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निर्धारित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी सामान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा:

परन्तु यह और कि एक ही बैच में विभागीय परीक्षा अर्हक करने के बाद चयन के माध्यम से पदोन्नत ग्रुप ग और ग्रुप घ के सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता, ग्रुप ग और ग्रुप घ कर्मचारी की चयन के माध्यम से पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के परिणामस्वरूप योग्यताक्रम के अनुसार अलग–अलग निर्धारित की जाएगी और आगे जहां तक ग्रुप ग और ग्रुप घ कर्मचारियों के बीच परस्पर ज्येष्ठता का संबंध है, चयन के माध्यम से ग्रुप ग से पदोन्नत कर्मचारी, ग्रुप घ के चयन द्वारा पदोन्नत कर्मचारियों से ज्येष्ठ होंगे:

परन्तु यह और कि यदि एक ही ग्रुप से चयन द्वारा पदोन्नत दो या दो से अधिक कर्मचारी परीक्षा के उसी बैच में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी ज्येष्ठता उस ग्रुप, जिसमें वे विभागीय परीक्षा में बैठने के समय कार्य कर रहे थे, में उनके सेवाकाल के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि सेवाकाल भी समान है, तो उनकी ज्येष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा आयु में बड़े को ज्येष्ठ माना जाएगा।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें.– (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरुप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।"।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	1208	वृतिमूलक वेतन स्तर–6, सेल–1 = 35400/– रुपये
2.	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	93	वृतिमूलक वेतन स्तर–6, सेल–1 = 35400/– रुपये
3.	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	40	वृतिमूलक वेतन स्तर–6, सेल–1 = 35400/– रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (सिविल) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।	पदोन्नति द्वारा– (i) ग्रुप ग कर्मचारी के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव; या ग्रुप घ कर्मचारी के रुप में आठ वर्ष का अनुभव; (**टिप्पणः– केवल नीचे यथा वर्णित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद ही अनुभव पर विचार किया जाएगा**) (ii) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (सिविल) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (सिविल) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; (ii) कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के रुप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।
2	कनिष्ठ अभियंता (यात्रिंकी)	(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से यात्रिंकी इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त	पदोन्नति द्वारा– (i) ग्रुप ग कर्मचारी के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव; या ग्रुप घ कर्मचारी के रुप में आठ वर्ष का अनुभव; (**टिप्पणः– केवल नीचे यथा वर्णित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद ही अनुभव पर विचार किया जाएगा**)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
		विश्वविद्यालय से यात्रिंकी इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (यात्रिंकी) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रुप में हिन्दी।	(ii) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से यात्रिंकी इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यात्रिंकी इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (यात्रिंकी) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित यात्रिंकी इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यात्रिंकी इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (यात्रिंकी) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; (ii) कनिष्ठ अभियंता (यात्रिंकी) के रुप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रुप में हिन्दी।
3	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (विद्युत) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रुप में हिन्दी।	पदोन्नति द्वारा– (i) ग्रुप ग कर्मचारी के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव; या ग्रुप घ कर्मचारी के रुप में आठ वर्ष का अनुभव; (**टिप्पणः– केवल नीचे यथा वर्णित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद ही अनुभव पर विचार किया जाएगा**) (ii) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित विद्युत इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (विद्युत) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित विद्युत इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में बी.टैक/इंजीनियरिंग (विद्युत) में बैचलर या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; (ii) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के रुप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रुप में हिन्दी।

टिप्पण 1: कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यान्त्रिकी या विद्युत) को अठारह वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी करने के बाद अपर उपमण्डल अभियंता के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

टिप्पण 2: केवल सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

टिप्पण 3: सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, सेवा ग्रहण करने के उपरान्त प्राप्त की गई किसी उच्चतर योग्यता को किसी सेवा लाभ के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

टिप्पण 4: उम्मीदवार को खाना 4 में यथा वर्णित अर्हताओं सहित विभागीय परीक्षा अर्हक करनी होगी।

परिशिष्ट ग

{देखिए नियम 14 (1)}

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय अपील– प्राधिकारी, यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	प्रमुख अभियंता	(i) **छोटी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। (ii) **बड़ी शास्तियां** – हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	अधीक्षक अभियंता प्रमुख अभियंता	प्रमुख अभियंता सरकार	सरकार ....

परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 14 (2)}

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरुप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	**2**	**3**	4	5
1. **2.** **3**	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा की समाप्ति; तथा (iii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृति।	प्रमुख अभियंता	सरकार

परिशिष्ट ङ

{देखिए नियम 9क(1)}

कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए पाठयक्रम।

1. **इंजीनियरिंग आरेखण** : आरेखण औजार, अक्षरांकन, लाइने और सामग्री के परम्परागत संकेत, परिमाप खाका, ज्यामितीय आरेखण, पैमाना, प्रक्षेपण, सममितीय प्रक्षेपण, परोक्ष प्रक्षेपण, परिप्रेक्ष्य दृश्य, अन्य सभी संबंधित अभियांत्रिकी चित्र आदि।
2. **निर्माण सामग्री** : ईंटें, पत्थर, चूना, सीमेंट, लकड़ी, रेत, सुरखी, राख, कांच, प्लास्टर ऑफ़ पेरिस, इस्पात, एल्युमिनियम, भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अन्य सभी सामग्री आदि।
3. **भवन निर्माण** : ईंट चिनाई और विभिन्न प्रकार के बांडज, पत्थर की चिनाई, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, नींव, फर्श, सरदल और मेहराब, बढ़ईगीरी और विभिन्न प्रकार के जोड़ों, दरवाजे, खिडकियां और वेंटिलेशन, छतें, सीढ़ियां, आवासीय इमारत और उसकी योजना, आर्द्र प्रशिक्षण कोर्स, सफेदी और रंग रोगन, अनुरेखण, ट्रेसिंग, चित्रकारी, कांच और एल्युमीनियम कार्य तथा लकड़ी का कार्य आदि।
4. **सहबद्ध ट्रेड** : विद्युत तारकशी, बढ़ईगीरी, नलसाजी, विद्युत यांत्रिक उपकरण, वातानुकूलन, स्मार्ट तत्व, स्वचालन, स्काडा तथा सभी आई टी ऐप्लिकेशन आदि।

5. **सर्वेक्षण** : जरीब सर्वेक्षण, चित्रणफलक सर्वेक्षण, समतलन तथा विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण उपकरण तथा अग्रिम सर्वेक्षण आदि।

6. **रेलवे, रोड, पुल** : सड़कें, रेलवे पुल तथा पुलियां वर्गीकरण और उनके घटक आदि।

7. **जल संसाधान इंजीनियरिंग**: जल विज्ञान, जल वितरण कार्य, पार जल निकासी, विचलन भंडारण हेड वर्क्स आदि।

8. **प्रबलित सीमेंट कंक्रीट और इस्पात संरचनाऐं**: प्रबलित सीमेंट कंक्रीट– सामग्री का चयन, फार्मवर्क्स, गर्डर शहतीर, रिवेटस और जोड़ों के प्रकार, नट और बोल्ट, इस्पात संरचनाओं के अनुभाग, बेसिक डिजाईन, डब्लयू. एस. एम., सी. एस. एम. आदि।

9. **आंकलन और लागत** : माप की इकाइयाँ, भवन के मुख्य भाग, अनुमान के प्रकार, विस्तृत भवन अनुमान का ढंग, दर विश्लेषण, भवन निर्माण विशिष्टियां, बीलिंग, माप पुस्तकें आदि।

परिशिष्ट च

{देखिए नियम 9क(1)}

कनिष्ठ अभियंता (यात्रिंकी) के पद पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए पाठयक्रम।

1 **इंजीनिरिंग आरेखण** : आरेखण औजार, अक्षरांकन, लाइने और सामग्री के परम्परागत संकेत, परिमाप खाका, ज्यामितीय आरेखण, पैमाना, प्रक्षेपण, सममितीय प्रक्षेपण, परोक्ष प्रक्षेपण, परिप्रेक्ष्य दृश्य, अन्य सभी संबंधित अभियांत्रिकी चित्र आदि।

2 **मशीन सामग्रीः** धातु और गैर–धातु के बीच अंतर, नट और बोल्ट, रीवटस, ताला उपकरण, शिकंजा और स्टड आदि ।

3 **सरल कार्यशाला मशीनः** खराद, ड्रिलिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, शौपर, मिलिंग मशीन, यांत्रिक जैक, हाइड्रोलिक जैक, सीवर सफाई मशीन आदि।

4 **संबद्ध व्यवसायः** विद्युत तारकशी, बढ़ईगीरी, नलसाजी, विद्युत यांत्रिक उपकरण, वातानुकूलन, स्मार्ट तत्व, स्काडा, स्वचालन तथा सभी आईटी ऐप्लिकेशन आदि ।

5 **मापने के उपकरणः** वरनियर कैलिपर, सूक्ष्ममापी, गहराई गेज, वाहन मील–दूरी मीटर, घंटे मीटर, दबाव गेज, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर आदि ।

6 **विभागीय मशीनें और वाहनः** ड्रिलिंग रीग, हवा कंप्रेसर, उत्पादन सेट, ट्रक, जीप तथा उनके कार्य के सिद्धांत और क्षमता आदि ।

7 **वेल्डिंग और टांकना** : गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टांकना, कलम्पिंग और बन्धन के ढंग ।

8 **अनुमान तथा लागत आंकनाः** माप की इकाइयाँ, मशीनरी, नलकूपों और पम्पों के मुख्य अंग, अनुमानों के प्रकार, दर विश्लेषण, मशीनरी विशिष्टियां, विस्तृत मशीनरी अनुमानों के ढंग, बीलिंग, माप पुस्तकें आदि।

परिशिष्ट छ

{देखिए नियम 9क(1)}

कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के पद पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए पाठयक्रम।

1 **गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत**

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।

2 **डीसी सर्किट**

प्रतिरोधों की श्रृंखला और समानांतरण, कैपसिटर, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस, स्टार डेल्टा कनेक्शन।

3 **मशीनें**–

एकल फेज़ कार्य सिद्धांत, निर्माण, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, जनरेटर, स्टार्टर और तीन फेज़ मोटर्स।

4 **बैटरियां**–

विभिन्न प्रकार एवं उनका निर्माण।

5 **रोशनी**–

विभिन्न प्रकार की रोशनी और उनके रंग और गैसों से उनके तापमान का इस्तेमाल।

6 **इंजीनिरिंग आरेखण**: आरेखण औजार, अक्षरांकन, लाइने और सामग्री के परम्परागत संकेत, परिमाप खाका, ज्यामितीय आरेखण, पैमाना, प्रक्षेपण, सममितीय प्रक्षेपण, परोक्ष प्रक्षेपण, परिप्रेक्ष्य दृश्य, अन्य सभी संबंधित अभियांत्रिकी चित्र आदि।

7 **संबद्ध व्यवसाय**: विद्युत तारकशी, बढ़ईगीरी, नलसाजी, विद्युत यांत्रिक उपकरण, वातानुकूलन, स्मार्ट तत्व, स्काडा, स्वचालन तथा सभी आईटी ऐप्लिकेशन आदि।''।

पंकज अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 2024

No. 46/13/2023.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following Rules further to amend the Haryana Irrigation and Water Resources Department Junior Engineers and Additional Sub Divisional Engineers (Group-C) Service Rules, 2014; namely:-

1. These rules may be called the Irrigation and Water Resources Department Haryana Junior Engineers and Additional Sub Divisional Engineers (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2023.

2. In the Haryana Irrigation and Water Resources Department, Junior Engineers and Additional Sub Divisional Engineers (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2014 (hereinafter called the said rules), in rule 2,-

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:-

(a) "appointing authority" means the Engineer-In-Chief in the Haryana Irrigation and Water Resources Department;

(ii) clause (b) shall be omitted;

(iii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

(da) "departmental examination**"** means the examination for the purpose of promotion by selection amongst the eligible employees of Group C or Group D to the post of Junior Engineer (Civil) or Junior Engineer (Mechanical) or Junior Engineer (Electrical) as the case may be;

(iv) after clause (g), following clauses shall be inserted, namely:-

(ga) "Group C employees" means the employees governed by the following service rules, namely:-

(i) The Punjab Public Works Department (Irrigation Branch) Head Office, Clerical (States Service Class-III) Rules, 1965;

(ii) The Haryana Irrigation Department, Circle Clerical (Group –C) Service Rules. 1982;

(iii) The Haryana Irrigation Department Signalers (Group-C) Service Rules, 1985;

(iv) The Haryana Irrigation and Water Resources Department Revenue Establishment Service (Group C) Rules, 2019;

(v) The Haryana Irrigation Department, Circle Cadre, Workmen Establishment Group C Service Rules, 2011;

(vi) The Haryana Irrigation Department, Draftsman and Tracers Group C Service Rules, 1982;

(gb) "**Group D employees**" means the employee appointed on regular basis before the commencement of the Haryana Group 'D' Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018) and governed by the following service rules, namely:-

(i) The Haryana Irrigation Department (Field) (Group-D) Service Rules, 1999;

(ii) The Haryana Irrigation Department (Head Office) (Group-D) Service Rules, 1999;

(iii) The Haryana Irrigation Department, Circle Cadre, Workmen Establishment (Group D) Service Rules, 2011;'.

3. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Appointing Authority:- Appointment to the posts in the Service shall be made by the Engineer-in-Chief in Haryana Irrigation and Water Resources Department."

4. In the said rules, for rule 9, the following rules shall be substituted, namely:-

"**9. Method of recruitment**:-

(1) Recruitment to the Service shall be made, -

(i) in the case of Junior Engineers (Civil),---

(a) 85% by direct recruitment; and

(b) 10% promotion by selection from amongst Group 'C' employees; and

(c) 5% promotion by selection from amongst Group 'D' employees; or

(d) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India;

(ii) in the case of Junior Engineers (Mechanical), ---

(a) 85% by direct recruitment; and

(b) 10% promotion by selection from amongst Group 'C' employees; and

(c) 5% promotion by selection from amongst Group 'D' employees; or

(d) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India;

(iii) in the case of Junior Engineers (Electrical), ---

(a) 85% by direct recruitment; and

(b) 10% promotion by selection from amongst Group 'C' employees; and

(c) 5% promotion by selection from amongst Group 'D' employees; or

(d) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.

(2) (i) All the Junior Engineers (Civil or Mechanical or Electrical) appointed by direct recruitment or by promotion shall, required to undergo induction training for a period of three months in case of direct recruitment or one month in case of promotion before they are given independent charge.

(ii) All the Junior Engineers (Civil or Mechanical or Electrical) shall undergo refresher training for a period of not less than five days once in every five years.

(3) The promotion by selection from amongst eligible Group C and Group D employees shall be made on the basis of merit list of departmental examination.

(4) An employee of Group C or Group D who has not attained the age of fifty-four years as on the 1st January of the calendar year shall be eligible for appearing in departmental examination.

9A Departmental examination and procedure thereof.- (1) The departmental examination shall be conducted at least once in a calendar year by the Engineer-in-Chief as per the syllabus mentioned in appendices E or F or G, as the case may be, subject to availability of vacant posts out of the quota earmarked for Group C and/or Group D employees.

(2) Each member of Service has to obtain minimum 60% marks in the departmental examination failing which he has to re-appear for consideration against the post of Junior Engineer. The result of examination shall be declared merit-wise (i.e. on the basis of marks obtained) and separately for both Group C and D employees.

(3) If the number of members of Service of any particular Group qualifying the departmental examination is more than the number of available vacancies of that Group, the remaining employee(s) shall be selected/appointed on the basis of their merit against the vacancies arising in the same calendar year in which the examination has been conducted."

5. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

"**11. Seniority**: - Seniority, inter-se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member:

Provided further that in the case of members of Group C and Group D promoted by selection after qualifying departmental examination in the same batch, the seniority shall be fixed as per merit in the result of departmental examination for promotion by selection of Group C and Group D employees separately and further as far as inter-se seniority among Group C and Group D employees(s) is concerned, employees promoted by selection through Group C shall be senior to those promoted by selection through Group D;

Provided further that in case if two or more employees are promoted by selection from the same Group and obtain equal number of marks in the same batch of examination, their seniority shall be determined on the basis of their length of service in the Group in which they were working at the time of appearing in departmental examination. If the length of service is also the same then their seniority shall be determined on the basis of age and the elder/eldest shall be regarded as senior."

6. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

"14. Discipline, penalties and appeals:-

(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules".

(2) The authority competent to pass an order under clause(c) or clause (d) or clause (f) of rule 9 of the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules."'

7. In the said rules, for Appendices A, B, C and D, the following Appendices shall be substituted, namely:-

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial number	**Designation of posts**	**Number of posts**	**Scale of Pay**
1	2	3	4
1.	Junior Engineers (Civil)	1208	F.P.L-6, cell-1= 35400/-
2.	Junior Engineers (Mechanical)	93	F.P.L-6, cell-1= 35400/-
3.	Junior Engineers (Electrical)	40	F.P.L-6, cell-1= 35400/-

Total = 1341

APPENDIX B

(see rule 7)

Serial number	**Designation of Post**	**Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Junior Engineer (Civil)	(i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Civil Engineering/Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	**By Promotion-** (i) Five years experience as Group 'C' employee; OR Eight years experience as Group 'D' employee; (**Note-The experience only after acquiring the academic qualification as mentioned below shall be considered.**) (ii) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers. **By transfer or deputation-** (i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; (ii) two years experience as Junior Engineer(Civil); and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Higher Education.

Serial number	**Designation of Post**	**Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.**
1	**2**	**3**	**4**
2.	Junior Engineer (Mechanical)	(i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education	**By Promotion-** (i) Five years experience as Group 'C' employee; OR Eight years experience as Group 'D' employee; (**Note- The experience only after acquiring the academic qualification as mentioned below shall be considered.**) (ii) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers. **By transfer or deputation-** (i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; (ii) two years experience as Junior Engineer (Mechanical); and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or higher education.
3.	Junior Engineer (Electrical)	(i) Three years Diploma in Electrical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or	**By Promotion-** (i) Five years experience as Group 'C' employee; OR Eight years experience as Group 'D' employee; (**Note-The experience only after acquiring the academic qualification as mentioned below shall be considered**.)

Serial number	Designation of Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
		B.Tech in Electrical Engineering/ Bachelor in Engineering (Electrical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	(ii) Three years Diploma in Electrical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Electrical Engineering/ Bachelor in Engineering (Electrical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers. **By transfer or deputation-** (i) Three years Diploma in Electrical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Electrical Engineering/ Bachelor in Engineering (Electrical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; (ii) two years experience as Junior Engineer (Electrical); and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Higher Education.

Note 1: Junior Engineer (Civil), (Mechanical) or Electrical) shall be designated as Additional Sub Divisional Engineer after completion of eighteen years regular satisfactory service**.**

Note 2: Only candidates having Diploma or Degree as recognized by the Government shall be eligible.

Note 3: Any higher qualification obtained after joining the service, without prior permission of the competent authority, shall not be considered for any service benefit.

Note 4: A candidate shall have to qualify the departmental examination alongwith the qualifications as mentioned in column 4.

APPENDIX C

[see rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of Post	Appointing authority	Name of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3	Junior Engineer (Civil) Junior Engineer (Mechanical) Junior Engineer (Electrical)	Engineer-in-Chief	**(i) Minor Penalties-** As prescribed in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. **(ii) Major Penalties-** As prescribed in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Superintending Engineer Engineer-in-Chief	Engineer-in-Chief Government	Government ----------

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of Post	Nature of Order	Authority empowered to make Order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1. 2. 3	Junior Engineer (Civil) Junior Engineer (Mechanical) Junior Engineer (Electrical)	(i) reducing or withholding the amount of pension admissible under the rules governing pension; (ii) termination of Service (iii) Premature retirement from service in public interest before attaining the age of superannuation of member of service.	Engineer-in-Chief	Government

APPENDIX E

[see rule 9A(1)]

SYLLABUS FOR HOLDING DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR PROMOTION BY SELECTION TO THE POST OF JUNIOR ENGINEER (CIVIL)

1. ENGINEERING DRAWING

Drawing instruments, lettering, lines and conventional signs of materials, dimensioning sketching, geometrical drawing, scales, Projection –Isometric projection, oblique projection, perspective views, all other respective engineering drawings etc.

2. BUILDING MATERIAL

Bricks**,** Stone, Lime, Cement, Timber, Sand, Surkhi, Cinder, glass, plaster of paris, steel, aluminum, all other material being used in building etc.

3. BUILDING CONSTRUCTION

Brick masonry and various types of bonds, stone masonry, reinforced cement concrete, foundation, floor, lintels, and arches, carpentry and various types of joints, door, windows and ventilation, roofs, stairs, residential building and its planning, damp proofing course, pointing, white and colour washing, Drawing tracing, painting, glass & aluminum work, wooden works etc.

4. ALLIED TRADE

Electrical wiring, Carpentry, Plumbing, electro-mechanical instrumentation, air conditioning, smart element, automization, SCADA, all IT application etc.

5. SURVEYING

Chain surveying, Plane Table Surveying, Leveling and various surveying instruments, advance surveying etc.

6. RAILWAY, ROAD AND BRIDGE

Roads, railway culverts and bridge-classification and components etc.

7. WATER RESOURCES ENGINEERING

Hydrology, water distribution works, cross drainage works, diversion storage Head Works etc.

8. REINFORCED CEMENT CONCRETE AND STEEL STRUCTURES

Reinforcement cement concrete- selection of material, form work extra beams and girders, rivets and type of joints, nuts and bolts, steel structures section, Basic design, WSM, CSM etc.

9. ESTIMATING AND COSTING

Units of measurement, main items of building, types of estimate, method of detailed building estimate, rate analysis, building specifications, billing, measurement books etc.

APPENDIX F

[see rule 9A(1)]

SYLLABUS FOR HOLDING DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR PROMOTION BY SELECTION TO THE POST OF JUNIOR ENGINEER (MECHANICAL).

1. Engineering drawing

Drawing instruments, lettering, lines and conventional signs of materials, dimensioning sketching, geometrical drawing, scales, Projection –Isometric projection, oblique projection, perspective views, all other respective engineering drawing etc.

2. Machine materials

Difference between metal and non-metal, nut and bolts, rivets, locking devices, screws, studs etc.

3. Simple workshop machines

Lathe, drilling machine, welding machine, shaper, milling machine, mechanical jack, hydraulic jack, sewer cleaning machine etc.

4. Allied trades

Electric wiring, carpentry, plumbing, electro-mechanical, instrumentation, air-conditioning, smart element, SCADA, automization, all IT applications etc.

5. Measuring instruments

Vernier caliper, micrometer, depth gauge, vehicle mileage meter, hour meter, pressure gauge, ampere meter, volt meter etc

6. Departmental machines and vehicles

Drilling rigs, air compressor, generating sets, trucks, jeeps their working principles and capacities etc.

7. Welding and brazing

Gas welding, Arc welding, brazing, clamping and fastening methods.

8. Estimate and costing

Units of measurements, main items of machineries, tubewell, pumps, types of estimates, rate analysis, machineries specifications, methods of detailed machinery estimates, billing, measurement books etc.”.

ANNEXURE G

[see rule 9A(1)]

SYLLABUS FOR HOLDING DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR PROMOTION BY SELECTION TO THE POST OF JUNIOR ENGINEER (Electrical)

1. **NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES:-**

   Solar, energy, wind energy and other renewable energy sources.

2. **DC CIRCUITS:-**

   Series and parallel of resistors, capacitors, form factor, peak factor, RMS, star delta connections

3. **MACHINES:-**

   One phase working principle, construction, transformer, DC motor, Generator, Starters, and Three phase Motors.

4. **BATTERIES:-**

   Different types and their manufacturing.

5. **ILLUMINATION:-**

   Different lights types and their colour and gases used their temperature.

6. **ENGINEERING DRAWING**

   Drawing instruments, lettering, lines and conventional signs of materials, dimensioning sketching, geometrical drawing, scales, Projection –Isometric projection, oblique projection, perspective views, all other respective engineering drawing etc.

7. **ALLIED TRADES**

   Electric wiring, carpentry, plumbing, electro-mechanical, instrumentation, airconditioning, smart element, SCADA, atomization, all IT applications etc."

PANKAJ AGARWAL,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Irrigation and Water Resources Department.

10850—C.S.—H.G.P., Pkl.